



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2023/289

दर्ज तिथि:-16.08.2023

1. फगलूराम पुत्र पनाराम फौत के कायम मुकाम

1/1 सदराम पुत्र फगलूराम

1/2 जगदीश पुत्र फगलूराम

1/3 भागीरथ पुत्र फगलूराम

1/4 केसाराम पुत्र फगलूराम

जाति विश्नोई निवासी नई बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. जगमाल पुत्र विरधाराम

2. बाबूलाल पुत्र विरधाराम

जाति विश्नोई निवासी नई बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

3. दिनेश पुत्र शंकराराम

जाति विश्नोई निवासी चैनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक नोखड़ा

5. जोगाराम पुत्र केहनाराम

जाति जाट निवासी नई बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री हरीश चौधरी

प्रतिवादीगण:- श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:संशोधित निर्णय:-

निर्णय तिथि:-05.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा



एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 363/72/1.6187 है0 वाके ग्राम नई बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रैजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 05 के अतिरिक्त समस्त प्रतिवादीगण अनुपस्थित की वजह से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 05 बाद तामील असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर सीधे बहस कर प्राथमिक डिक्री जारी करने पर सहमति जाहिर की।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये:-

1. आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

.....जिम्मे वादी

2. आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के पश्चात् विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

.....जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादी 05

4. अन्य दादरसी।

.....उभयपक्षकारान

4. तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 27.09.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/724 दिनांक 19.08.2025 द्वारा विभाजन

प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/724 दिनांक 19.08.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 21.04.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1274-1281 दिनांक 21.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 08.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1274-1281 दिनांक 21.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 08.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073-2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा सीपीसी 1908 की धारा-151, 152 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादीगण के द्वारा संयुक्त आराजी में अपना संपूर्ण हिस्सा का बेचान प्रतिवादी संख्या 05 को किये जाने से वादीगण का कोई हिस्सा नहीं है। परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रतिवादी संख्या 05 का हिस्सा वादीगण के नाम रखते हुए अंतिम डिक्री जारी की गई है। अतः अंतिम डिक्री में संशोधन करते हुए वादीगण का नाम कलमजन करते हुए प्रतिवादी संख्या 05 के नाम संशोधित अंतिम डिक्री जारी की जावे। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन कियो गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 363/72/1.6187 है0 वाके ग्राम नई बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के

मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में वादीगण के द्वारा संयुक्त आराजी में अपना संपूर्ण हिस्सा का बेचान प्रतिवादी संख्या 05 को किये जाने से वादीगण का कोई हिस्सा नहीं है। परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रतिवादी संख्या 05 का हिस्सा वादीगण के नाम रखते हुए अंतिम डिक्री जारी की गई है। अतः अंतिम डिक्री में संशोधन करते हुए वादीगण का नाम कलमजन करते हुए प्रतिवादी संख्या 05 के नाम संशोधित अंतिम डिक्री मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 363/72/1.6187 है0 वाके ग्राम नई बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जोगाराम पुत्र केहनाराम जाति जाट सा0 बाण्ड	नई बाण्ड	363/72	0.5396	बा0सो0
कुल कित्ता 01 रकबा 0.5396 है0				


केसराम पुत्र फगलूराम हि0 1/8 जगदीश पुत्र फगलूराम हि0 1/8 दिनेश पुत्र शंकराराम हि0 1/2 भागीरथराम पुत्र फगलूराम हि0 1/8 सदराम पुत्र फगलूराम हि0 1/8 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	नई बाण्ड	363/72	1.0791	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.0791 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2023/289

दर्ज तिथि:-16.08.2023

1. फगलूराम पुत्र पनाराम फौत के कायम मुकाम

1/1 सदराम पुत्र फगलूराम

1/2 जगदीश पुत्र फगलूराम

1/3 भागीरथ पुत्र फगलूराम

1/4 केसाराम पुत्र फगलूराम

जाति विश्नोई निवासी नई बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. जगमाल पुत्र विरधाराम

2. बाबूलाल पुत्र विरधाराम

जाति विश्नोई निवासी नई बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

3. दिनेश पुत्र शंकराराम

जाति विश्नोई निवासी चैनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक नोखड़ा

5. जोगाराम पुत्र केहनाराम

जाति जाट निवासी नई बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री हरीश चौधरी

प्रतिवादीगण:- श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 363/72/1.6187 है0 वाके ग्राम नई बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस

नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जोगाराम पुत्र केहनाराम जाति जाट सा0 बाण्ड	नई बाण्ड	363/72	0.5396	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.5396 है0				
केसाराम पुत्र फगलूराम हि0 1/8 जगदीश पुत्र फगलूराम हि0 1/8 दिनेश पुत्र शंकराराम हि0 1/2 भागीरथराम पुत्र फगलूराम हि0 1/8 सदराम पुत्र फगलूराम हि0 1/8 जाति विश्णोई सा0 देह खातेदार	नई बाण्ड	363/72	1.0791	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.0791 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर